फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री गोपाल कंसारा पुत्र उदयलालजी नि. देवगढ मदारिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 55/2021

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.05.2022 पत्रावली पेश हुई। अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ जिला राजसमंद द्वारा जरिये पत्रांकः सूचना/2022/33 दिनांक 28.04.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी श्री गोपाल कंसारा पिता उदयलाल जी कंसारा ने सूचना का अधिकार अधिनियम अपील संख्या 55/2021 में प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.09.2021 को पटवार सर्किल देवगढ में स्थित मंदिर मूर्तियों के नाम दर्ज कृषि भूमि सं. 1681, 1682, 4096, 4097, 4098, 4100, 4106 कुल कृषि भूमि 12 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा की शिकायत की जांच रिपोर्ट की सूचना चाही गई। अपीलार्थी को उक्त सूचना के तहत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ द्वारा पत्रांकः उपदे/सूचना/2022/12–13 दिनांक 04.03.2022 से सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई गई थी। अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त उपरांत भी प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील की गयी, अपील उपरांत चाही गयी जॉच रिपोर्ट पुनः प्रार्थी/अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ द्वारा पत्रांकः सूचना/2022/32 दिनांक 26.4.2022 को प्रेषित की गयी जो कि श्री कंसारा द्वारा दिनांक 27.04.2022 को स्वंय द्वारा प्राप्त कर प्राप्ति रसीद दी गयी । दिनांक 22.09.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जिले के पटवार सर्कल देवगढ श्री करणीमाता जी, श्री कुंज बिहारी जी, श्री पीताम्बर बावजी, श्री पूर्वज बावजी, श्री गिरधारी जी अवसस्क मूर्तियों के नाम कृषि भूमि संख्या . 1681, 1682, 4096, 4097, 4098, 4100, 4106 कुल कृषि भूमि 12 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा जमीन मानाचनकार के नाम से प्रसिद्ध को पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा CIVIL APPEAL NO. 4880 OF 2021	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

एवं निर्णय माननीय न्याय मूर्ति हेमंत गुप्ता सा. एवं माननीय न्याय मूर्ति श्री एस बोपन्ना सा. की पीठ ने मंदिर से जुड़ी भूमि के स्वामित्व केवल पीठासीन देवता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का संलग्न निर्णय की पालना देवगढ के मानाचनकार में कराने हेतु लिखा गया। प्रकाशित खबरों की कटींग एवं माननीय न्यायालय के फैसले की फोंटो प्रति द्वारा पटवार सर्कल में अवयस्क मूर्तियों के नाम की कृषि भूमि देवताओं के नाम दर्ज करना लोक अधिकारी कार्यालय से संभव नहीं होने का उल्लेख किया है। क्योंकि उक्त वर्णित भूमियां न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के आदेश/निर्णय अंतर्गत अपील संख्या 81/2008 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की गयी थी। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नंबरान की भूमि को पूर्ववत की भांति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया गया है। जो तहसील कार्यालय देवगढ के स्तर से क्रियान्वित किया जाना संभव नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारीं, तहसीलदार देवगढ द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार अभिलेख पर उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवाये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)